भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1803

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

ट्रैफिक जाम

1803. श्री गिरिधारी यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा 55 देशों के 387 शहरों के यातायात प्रवृत्ति के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार देश के चार शहर नामतः बंगलौर, पुणे, नई दिल्ली और मुम्बई का एशिया में सबसे खराब यातायात की दृष्टि से क्रमशः पहला, दूसरा, बारहवां और चौदहवां स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यातायात व्यवस्था से संबंधित नीतियां बनाकर यातायात को सुचारू रूप से चलाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वर्ष 2024 के दौरान विभिन्न तिथियों पर कुछ समाचार पत्रों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स आदि में प्रकाशित समाचार लेखों के अनुसार, वर्ष 2023 में 55 देशों के 387 शहरों में यातायात प्रवृत्तियों के बारे में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के आधार पर, भारत के चार शहर अर्थात् बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली और मुंबई एशिया में सबसे खराब यातायात के मामले में क्रमशः पहले, दूसरे, 12वें और 14वें स्थान पर हैं।

(ख) यातायात प्रबंधन अनिवार्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है और केन्द्र सरकार की यातायात प्रवर्तन में मामूली भूमिका है, तथापि केन्द्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 67 राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएं जारी करने और यातायात के भीड़भाड़ को कम करने के लिए योजनाओं के विकास सहित सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 117 राज्य सरकारों को सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा और यातायात के निर्बाध आवागमन को प्राथमिकता देते हुए पार्किंग स्थलों और ठहराव स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है।

*****